कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1149 / 2022 / 10–11 / 3283 भोपाल, दिनांक 25-7-23

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– देवास जिले में नेमावर समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत MBR, पम्प हाऊस एवं पाइप लाईन बिछाने हेतु 0.95 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, इन्दौर को उपयोग पर देने बाबत्। (FP/MP/WATER/152376/2022)

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 6-MPB 035/2022-BHO दिनांक 24.02.2023

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 10 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	Full KML file of layout plan of forest area and non forest area shall be submitted/ uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा पूर्ण KML file ऑनलाईन भाग–1 में अपलोड कर दी गई है।
2	Comparative statement and alternative alignments on amp shall be submitted/uploaded.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि नेमावर समूह जल प्रदाय योजना का स्त्रोत नर्मदा नदी है, उक्त नदी नेमावर के समीप स्थित है। शुद्ध जल पम्प होकर नेमावर से चापड़ा तक राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के ROW में पाईप लाईन बिछाकर लाया जा रहा है। जिसकी सक्षम स्वीकृति प्राप्त है, विदित हो इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, इसलिए अन्य विकल्प की KML file दी जाना संभव नहीं है।
3	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) needs to be submitted/uploaded.	आवेदक संस्थान द्वारा वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल देवास के हस्ताक्षर सहित Justification प्रस्तुत किया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

—2—

4	No objection certificates of concerned department (Railway, WRD etc) shall be submitted.	आवेदक संस्थान ने जल संसाधन विभाग, एवं रेल्वे विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है।
5	Administrative approval from competent authority shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 22.09.2020 प्रस्तुत की है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
6	CA scheme is not as per Para 2.8 (iii) of FCA Handbook 2019.	प्रकरण में 1.00 हेक्टेयर से कम वनभूमि 0.95 हेक्टेयर प्रभावित हो रही है। इसलिए प्रकरण में प्रभावित वृक्ष 436 के 10 गुना 4360 वृक्षों की परिक्षेत्र देवास के कक्ष क्रमांक–2 में 5.00 हेक्टेयर के क्षेत्र में 4360 वृक्षों की रोपण योजना राशि रू. 20,00,000/– तैयार कर ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
7	Suitability certificate of CA land shall be submitted.	वन मण्डलाधिकारी देवास ने उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
8	Part-III form shall be uploaded on web portal.	प्रकरण में भाग–III मुख्य वनसंरक्षक उज्जैन की अनुशंसा ऑनलाईन भाग–2 के अतिरिक्त कॉलम में अपलोड कर दी गई है, छायाप्रति संलग्न है।
9	For CA, the proposed diversion area is only 0.95 ha and total trees marked for felling is 436 numbers. So, CA scheme for 436 x 10 = 4630 numbers of saplings plantation shall be submitted.	प्रकरण में 1.00 हेक्टेयर से कम वनभूमि 0.95 हेक्टेयर प्रभावित हो रही है। इसलिए प्रकरण में प्रभावित वृक्ष 436 के 10 गुना 4360 वृक्षों की परिक्षेत्र देवास के कक्ष क्रमांक–2 में 5.00 हेक्टेयर के क्षेत्र में 4360 वृक्षों की रोपण योजना राशि रू. 20,00,000/– तैयार कर ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

—3—

10	Why construction of pump house is proposed in forest land shall be clarified.	आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि योजना अंतर्गत MBR निर्माण कार्य क्षेत्र में उपलब्ध ऊँचाई वाले स्थान पर किया जाना तकनीकी आधार पर आवश्यक है। उक्त MBR को 70 कि.मी. लम्बाई की पम्पपिंग मेन पाईप लाईन के माध्यम से भरने हेतु इन्टरमीडीएट पम्पपिंग स्टेशन का निर्माण कार्य पम्पपिंग मेन की हाइड्रोलिक डिजाईन अनुसार किया जाना आवश्यक होने से एवं पम्पपिंग मेन पाईप लाईन जो की राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के समानान्तर बिछाई जा रही है, उक्त पाईप लाईन के अलाईन्मेंट पर ही तकनीकी रूप से स्वीकृत हाइड्रोलिक डिजाईन के आधार पर चयन किया गया है। उक्त पम्पपिंग मेन लाईन के अलाइमेंट पर पूर्व से दो इंटरमिडिएट पम्पपिंग स्टेशन निर्मित होकर उनका उपयोग भी किया जाना है। अतः उक्त स्थान का चयन टेक्नोइकॉनॉमिकली उचित होने से किया गया है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

25/7/2023

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1149 / 2022 / 10–11 / 3284 भोपाल, दिनांक 25-7-23

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) उज्जैन वृत्त, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, देवास, मध्यप्रदेश।
3. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, इन्दौर मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

25/7/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

MADHYA PRADESH JAL NIGAM MARYADIT

Project Implementation Unit, Indore

Narmada Project Campus, Musakhedi, Building No. 1 Indore (M.PO.) – 452001

(A Govt of Madhya Pradesh Undertaking)

Regd. & Corp Office: 'D' Wing 2nd Floor, VindhyachalBhawan Bhopal- 462004

Phone No. 0755-2579874 Fax : 0755-2579873 Website: www.mpjalnigam.co.in

Email. : mpjalnigam.piuindore@gmail.com, Phone (0731) 2712001 CIN – U41000MP2012SG028798

क्रमांक 1949 / लेखा / 2023 / म.प्र.ज.नि. / प.क्रि.ई. / इन्दौर दिनांक 26/5/2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध) भोपाल (म.प्र.)

विषयः **देवास जिले में नेमावर जल समूह प्रदाय योजना के अंतर्गत एम बी. आर. पम्प हाउस एंव पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.95 हेक्टे. वन भूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित इंदौर को उपयोग में देने बाबद् (FP/MP/WATER/152376/2022)**

सन्दर्भः 1. प्रपोजल क्रमांक FP/MP/WATER/152376/2022250/02/2022
2. प्रधान सचिव (वन) पत्र क्रमांक 6–एम पीबी 035 / 2022 बी एच ओ
3. म.प्र. जल निगम पत्र क्रमांक 1014 दिनांक 06.09.2023
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक पत्र क्रं. एफ–5 / 1149 / 2022 / 10–11 / 1790 दिनांक 03.05.2023
5. इस कार्यालय का पत्र क्रं. 1757 दिनांक 12.05.2023
6. इस कार्यालय का पत्र क्रं. 1772 दिनांक 15.05.2023

—00—

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ के क्रम में लेख है कि नेमावर समूह जलप्रदाय योजना जिला देवास का क्रियान्वय म.प्र. जल निगम द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी "जल जीवन मिशन योजना" अंतर्गत किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रस्तावित एम.बी.आर., पम्प हाउस निर्माण तथा पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.95 हेक्टे. वन भूमि को उपयोग में देने हेतु स्वीकृति की प्रक्रिया के अंतर्गत संदर्भि पत्र क्रमांक 4 के माध्यम से चाही गई जानकरी का बिंदुवार विवरण निम्नानुसार है।

क्रं.	चाही गई जानकारी का विवरण	परिपालन	रिमार्क
1	बिन्दु क्रमांक 01 के पालन में आपके द्वारा पूर्ण गैर वनभूमि की KML File अपलोड नहीं की गई है।	बिंदु अनुसार वांछित वन भूमि एवं गैर वन भूमि की के.एम.एल. फाईल पुर्व में दिनांक 24.02.2023 को अपलोड कर दी गई थी। संदर्भित पत्र क्रमांक 4 के परिपालन में पुनः प्रेषित है। इस क्रम में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष (भू–प्रबंध) भोपाल के पत्र क्रमांक 3235 दिनांक 20.09.2022 के निर्देशन में योजना से प्रभावित 436 वृक्षों के 10 गुना यानी 4360 वृक्षो की रोपन योजना वन मंडल देवास के 02 रकबा 5 हेक्टेयर में वन क्षेत्र में तैयार की गई है। जिसमें वर्ष 2022–23 से 2032–33 तक क्षति पुर्ती रोपन का उल्लेख किया गया है। तकनिकी स्वीकृति की छाया प्रति संलग्न है। अतः वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि का प्रश्न ही नहीं होता है।	अनुलग्नक–1

MADHYA PRADESH JAL NIGAM MARYADIT
Project Implementation Unit, Indore
Narmada Project Campus, Musakhedi, Building No. 1 Indore (M.PO.) – 452001
(A Govt of Madhya Pradesh Undertaking)
Regd. & Corp Office: 'D' Wing 2nd Floor, VindhyachalBhawan Bhopal- 462004
Phone No. 0755-2579874 Fax : 0755-2579873 Website: www.mpjalnigam.co.in
Email. : mpjalnigam.piuindore@gmail.com, Phone (0731) 2712001 CIN – U41000MP2012SG028798

क्रं.	चाही गई जानकारी का विवरण	परिपालन	रिमार्क
2	बिन्दु क्रमांक 02 के पालन में अन्य विकल्पों KML File की एवं विवरण अपलोड नहीं किए गए है और न ही हार्डकॉपी में प्रस्तुत है।	नेमावर समूह जल प्रदाय योजना का स्त्रोत नर्मदा नदी है उक्त नदी नेमावर के समीप स्थित है। शुद्ध जल पम्प होकर नेमावर नगर से चापड़ा तक राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के ROW में पाईप लाईन बिछाकर लाया जा रहा है। जिसकी सक्षम स्वीकृति प्राप्त है, विदित हो इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पित रास्ता नहीं है, इसलिए अन्य विकल्प की KML फाईल या हार्डकॉपी जमा करना सभंव नहीं है।	अनुलग्नक–2
3	बिन्दु क्रमांक 03 के पालन में आपके द्वारा वन मण्डलाधिकारी देवास के हस्ताक्षर सहित जस्टिफिकेशन प्रस्तुत नहीं किया है।	संदर्भित पत्र 4 के पालन में वनमण्डल अधिकारी के हस्ताक्षर सहित जस्टिफिकेशन पुनः पत्र के साथ सलंग्न प्रेषित है।	अनुलग्नक–3
4	बिन्दु क्रमांक 04 के पालन में रेलवे विभाग एवं जल संसाधन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।	संदर्भित पत्र क्रं. 05 एवं 06 के माध्यम से क्रमशः जल संसाधन विभाग, देवास एवं रेल मण्डल निगम भोपाल से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध किया गया है जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।	अनुलग्नक–4
5	बिन्दु क्रमांक 05 के पालन में प्रशासकीय स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।	बिंदु के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति पुर्व में इस कार्यालय द्वारा भेजी जा चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः संलग्न प्रेषित है।	अनुलग्नक–5

अनुरोध है कि नेमावर समूह जल नेमावर समूह जल प्रदाय योजना भारत सरकार के "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगतिरत है जिसे भारत सरकार के दिशा–निर्देश अनुसार समयसीमा में पूर्ण किया जाना है, अतः योजना की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए उल्लेखित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रत्याशा में प्रावधानित अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(जे.पी.गनोते)
महाप्रबंधक

पृ क्र. 1950/तक/2023/म.प्र.ज.नि/प.क्रि.ई/इन्दौर दिनांक 26/5/2023

प्रतिलिपि–

1. प्रबंध संचालक म.प्र. जल निगम मर्या. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. वन मंडलाधिकारी, सामान्य वन मंडल, देवास की ओर सुचनार्थ।
3. टीम लीडर, एस.क्यु.सी. मेसर्स एम.एस.वी.–ई.सी.एस. इन्टरनेशनल इन्दौर की ओर सूचनार्थ
4. मेसर्स द्वारा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. रायकाबाग, जोधपुर–342007 की ओर सूचनार्थ।

महाप्रबंधक

बिन्दु क्र. 7

क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण – पत्र

वैकल्पिक वृक्षारोपण अंतर्गत बिगड़ें वनो का सुधार हेतु वृक्षारोपण नागदा हेतु संलग्न प्रोजेक्ट अनुसार देवास वनपरिक्षेत्र के आरक्षित कक्ष क्रमाक 02 जिसका कुल रकबा 465.420 हे. में से रकबा 05.000 हे. रोपण हेतु उपयुक्त है। क्षेत्र होकर घनत्व 0.1 से 0.2 तक है, वन क्षेत्र BL1, BL2 प्रकार का है। एवं मृदा का परिक्षण कराया गया है जो रोपण हेतु उपयुक्त है।

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र क्षे. देवास

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल देवास (सा.)

वन संरक्षक
एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी
वन मण्डल क्षे. देवास

म.प्र. शासन - वन विभाग

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल (क्षेत्रीय) देवास (म.प्र.)

O: (07272) 253020, R (07272) 252449 Email- dfotdwas@mp.gov.in, dfodewas@rediffmail.com

क्रमांक / DM / 2022 / 9673

देवास, दिनांक 21-11-22

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कक्ष भू–प्रबंध)
सतपुड़ा भवन भोपाल

विषय :– देवास जिले में नेमावर समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत MBR पम्प हाउस एवं पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.95 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, इन्दौर को उपयोग पर देने बाबद।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक /एफ–5/1149/2022/10–11/3235 भोपाल दिनांक 20.09.2022

——00——

निवेदन है कि उपरोक्त विषयांतर्गत देवास जिले में नेमावर समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत MBR पम्प हाउस एवं पाईप लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित प्रभावित वन भूमि 0.95 हेक्टेयर में 436 प्रभावित वृक्षों के एवज में 10 गुना 4360 वृक्षों की क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना एवं MBR तक आने जाने का मार्ग की जानकारी पत्र के संलग्न सादर संप्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

वन संरक्षक
एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल(क्षेत्रीय), देवास

पृ.क्रमांक / DM / 2022 / 9674

देवास, दिनांक 21-11-22

प्रतिलिपि –

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उज्जैन ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. कलेक्टर देवास जिला देवास की ओर सूचनार्थ।
3. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई नर्मदा प्रोजेक्ट परिसर, भवन क्रमांक–1 मूसाखेड़ी, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
4. उप वनमण्डल अधिकारी बागली / देवास की ओर सूचनार्थ।

वन संरक्षक
एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल(क्षेत्रीय), देवास

kachole d:\dm data_new\dm letter all\dm letter all 2022_new.docx642

Justification for Locating the project in Forest Land

The project namely "Nemawar Multi Village Rural Water Supply Scheme' under Jal Jeevan Mission is proposed to provide drinking water to 123 Rural Villages & 2 Urban Towns of District Dewas taking river Narmada (Nemawar) as the Source. To convey water to command area, the most economical option to convey water is by Gravity flow. Since elevation of Pipeline is higher in this area so that advantage of gravity flow can be utilized and exorbitant recurring maintenance cost will be saved. Hence permission is requested

(Ravindra Rai)
Deputy Manager,
MP Jal Nigam PIU, Indore

7

Countersigned. Based on the. Information provided by the User Agency.

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल (क्षे) देवास (म प्र)

अनुलग्नक – 4

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

परियोजना क्रियान्वयन इकाई, 562 गोयल विहार गेट नं. 2, अजराना इंदौर (म.प्र.) 452016
(A Govt. of Madhya Pradesh Undertaking)
के रजिस्टर्ड कार्यालय – 8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल–462011
Phone No.: 0755-2579874 Fax.: 0755-2579873 Website:- www.mpjalnigam.mp.gov.in
Email: gmindore.mpjalnigam@mp.gov.in (Ph. 0731-4096585) CIN-U41000MP2012SG028798

क्रमांक 1772 / सक / 2023 / म.प्र.ज.नि. / प.क्रि.ई. / इंदौर — दिनांक 15/5/2023

रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
23 MAY 2023
6466

प्रति,

वरिष्ठ प्रबंधक प्रोजेक्ट
रेल विकास निगम लिमिटेड
पी.आई.यू. भोपाल (म.प्र.) 462024

विषयः देवास जिले की नेमावर समूह जलप्रदाय योजना अंतर्गत एम.बी.आर., पंप हाऊस एवं पाईप लाइन बिछाने हेतु 0.95 हेक्टे. वन भूमि म.प्र. जल निगम मर्यादित को उपयोग में देने बाबद।

संदर्भः
1. अनुबंध क्र0 38 / 2020–21 दिनांक 11.01.2.2021
2. वन विभाग अनुमति प्रकरण क्रमांक (FP/MP/WATER/152376/2022)
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. शासन भोपाल का पत्र क्र. एफ–5 / 1149 / 2022 / 10–11 / 1790 दिनांक 03.06.2023

–00–

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ के क्रम में लेख है कि, म.प्र. जल निगम द्वारा नेमावर समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन संदर्भित अनुबंध के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके माध्यम से देवास जिले के सतवासपिपलिया एवं बागली विकासखण्ड के 123 ग्राम एवं 2 नगरीय निकायों को जल प्रदाय किया जाना है। योजना अंतर्गत नेमावर स्थित जल शोधन संयंत्र से शोधित जल को पंपींग कर ग्राम छायन में एम.बी.आर. को भरा जाना है । जिसके अंतर्गत एम.बी.आर. तथा वन क्षेत्रान्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.95 हेक्टेयर वन क्षेत्र की भूमि का उपयोग किया जाना है जिसकी वन विभाग से अनुमति संबंधित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसी क्रम में संदर्भित पत्र क्र. 3 के माध्यम से वन विभाग द्वारा आपके विभाग का अनापत्ति प्रमाण चाहा गया है।

अतः भारत सरकार के अत्यंत महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रगतिरत नेमावर समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत उपरोक्त वन भूमि क्षेत्र (खसरा न. 89) में एम.बी.आर. निर्माण तथा पाईप लाइन बिछाने के कार्य हेतु आपके विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्न :– 1) योजना की प्रशासकीय स्वीकृति।
2) योजना की जी.ए.डी. ड्राइंग।
3) संदर्भित पत्र

(जे.पी. मनोते)
महाप्रबंधक

पृ. क्रमांक / सक / 2023 / म.प्र.ज.नि. / प.क्रि.ई. / इंदौर — दिनांक

प्रतिलिपि –

1. मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. एस.क्यु.सी मेसर्स एम.एस.वी–ई.सी.एस इन्टरनेशनल इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महाप्रबंधक

अनुलग्नक (4)

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

परियोजना क्रियान्वयन इकाई, 562 गोयल विहार गेट नं. 2, खजराना इंदौर (म.प्र.) 452016

(A Govt. of Madhya Pradesh Undertaking)

कं. रजिस्टर्ड कार्यालय – 8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल–452011

Phone No. : 0755-2579874 Fax : 0755-2579873 Website - www.mpjalnigam.mp.gov.in

Email : gmindore.mpjalnigam@mp.gov.in (Ph. 0731-4096585) **CIN-U41000MP2012SG028798**

क्रमांक 1757 /तक./2023/म.प्र.ज.नि./प.क्रि.ई./इंदौर दिनांक 12/5/2023

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन विभाग
देवास (म.प्र.)

विषयः देवास जिले की नेमावर समूह जलप्रदाय योजना अंतर्गत एम.बी.आर., पंप हाऊस एवं **पाईप लाइन बिछाने हेतु 0.95 हेक्टे. वन भूमि म.प्र. जल निगम मर्यादित को उपयोग में देने बाबद।**

सदर्भः 1. अनुबंध क्र0 38/2020–21 दिनांक 11.01.2.202।
2. वन विभाग अनुमति प्रकरण क्रमांक (FP/MP/WATER/152376/2022)
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. शासन भोपाल का पत्र क्र. एफ–5/1149/2022/10–11/1790 दिनांक 03.05.2023

–00–

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ के क्रम में लेख है कि, म.प्र. जल निगम द्वारा नेमावर समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन संदर्भित अनुबंध के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके माध्यम से देवास जिले के हाटपिपलिया एवं बागली विकासखण्ड के 113 ग्राम एवं 10 अतिरिक्त व 2 नगरीय निकायों को जल प्रदाय किया जाना है। योजना अंतर्गत नेमावर स्थित जल शोधन संयंत्र से शोधित जल की पंपींग कर ग्राम छायन में निर्माणाधीन एम.बी.आर. को भरा जाना है । एम.बी.आर. निर्माण भूमि (0.95 हेक्टेयर) वन क्षेत्र की भूमि है जिसकी वन विभाग से अनुमति संबंधित कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में संदर्भित पत्र क्र. 3 के माध्यम से वन विभाग द्वारा आपके विभाग का अनापत्ति प्रमाण चाहा गया है।

अतः भारत सरकार के अत्यंत महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रगतिरत नेमावर समूह जल प्रदाय योजना के उपरोक्त वन भूमि क्षेत्र (खसरा नं. 69) में एम.बी.आर. निर्माण कार्य हेतु आपके विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र प्रदान करने का कष्ट करें।

Received
12/5/23
AB

संलगन :– 1) योजना की प्रशासकीय स्वीकृति।
2) योजना की जी.ए.डी. ड्राइंग।
3) संदर्भित पत्र क्र. 3

for महाप्रबंधक

पृ. क्रमांक 1758 /तक./2023/म.प्र.ज.नि./प.क्रि.ई./इंदौर दिनांक 12/5/2023

प्रतिलिपि –

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्यादित भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. एस.क्यु.सी मेसर्स एम.एस.वी–ई.सी.एस इन्टरनेशनल इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

for महाप्रबंधक

Scanned with OKEN Scanner

अनुलग्नक – 5 POINT NO 5

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल–462004

क्रमांक एफ 16–21/2020/2/34/(2951) भोपाल, दिनांक 22 SEP 2020

प्रति,

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित
विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

विषय – मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा क्रियान्वित की जानेवाली समूह जलप्रदाय योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ – प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, भोपाल का पत्र क्रमांक 6942 दिनांक 29.08.2020।

–0–

राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जानेवाली निम्नानुसार 10 समूह जलप्रदाय योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है :–

क्र.	समूह जलप्रदाय योजना का नाम	जिला	लागत (रु. करोड़ में)
1	राजोंद	धार	109.50
2	मडिया	सागर	336.02
3	आगर मालवा	आगर	557.35
4	मड़ीखेड़ा	शिवपुरी	1096.96
5	गोपीकृष्ण सागर	गुना	461.98
6	राजघाट	गुना एवं अशोकनगर	1942.90
7	नेमावर (हाटपिपलिया)	देवास	237.00
8	गोंड देवसर	सिंगरौली	470.49
9	वैढ़न–1	सिंगरौली	637.27
10	वैढ़न–2	सिंगरौली	261.53
	योग		6111.00

2/ योजनाओं का क्रियान्वयन जल जीवन मिशन के मापदण्डों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाये, विस्तृत सर्वेक्षण उपरांत डिजाईन/ड्राईंग तैयार कर करायी जाये तथा योजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत राशि तक सीमित रखा जाये।

3/ यह आदेश मंत्रि–परिषद निर्णय के आइटम क्रमांक–18 दिनांक 15, सितम्बर 2020 के संदर्भ में जारी किया गया है।

4/ दिनांक 03.09.2020 को संपन्न परियोजना परीक्षण समिति की बैठक, तथा दिनांक 18.09.2020 को संपन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक, में उपरोक्त योजनाओं का अनुमोदन किया गया है। बैठकों के कार्यवाही विवरण (प्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

22/09/2020

(राजेश शाक्यवार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

PA-2020

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
कार्यालय वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन (म.प्र.)
[illegible] मार्ग, [illegible], उज्जैन (म.प्र.) 456010

E-Mail: [illegible]

Ph. (0734) 2512101
Fax (0734) 2512102

क्रमांक/मा.चि./2022/[illegible]
प्रति

उज्जैन, दिनांक 11 JUN 2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय:- नेमावर समूह जल प्रदाय योजना जिला देवास अन्तर्गत ओवरहेड मास्टर बैलेंसिंग रिजरवायर एवं पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.95 हे. उपयोग हेतु वन प्रस्ताव की स्वीकृति बाबत।
(प्रकरण क्र. FP/MP/WATER/[illegible]/2022)

संदर्भ:- वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल देवास का पत्र क्र./मा.चि./2022/4848 दिनांक 08.06.2022।

--00--

विषयांतर्गत प्रकरण मे निवेदन है कि वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल देवास द्वारा उनके संदर्भित पत्र से महाप्रबंधक पीआईयू इन्दौर द्वारा देवास जिले मे नेमावर जल समूह प्रदाय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पाईप लाईन बिछाने एवं मास्टर बैलेंसिंग रिजरवायर के निर्माण हेतु देवास वनमण्डल के परिक्षेत्र जिनवानी, पानीगांव एवं कन्नौद मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत की कुल 0.95 हे. वनभूमि व्यपवर्तन का प्रकरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप भाग-I एवं भाग-II मे तैयार कर प्रस्तुत किया है।

अतः इस कार्यालय से संबंधित निर्धारित प्रारूप भाग-III अपलोड किया जाकर पूर्ण प्रस्ताव आपकी ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(मनोज कुमार अग्रवाल)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

क्रमांक/मा.चि./2022/5027

उज्जैन, दिनांक 11 JUN 2022

प्रतिलिपि :-

01- वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल देवास की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ मे सूचनार्थ अग्रेषित।
02- महाप्रबंधक पीआईयू इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(मनोज कुमार अग्रवाल)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

[illegible] NEMAWAR WATER SUPPLY PROJECT LETTER.doc

PART III

S.N.	DESCRIPTION	FOLLOW UP
14	Whether site where the forestland involved is located has been inspected by concerned conservator of forest (Yes/No). If yes the date of inspection & observation made in form of inspection note to be enclosed.	Agree with Inspection of DFO Dewas
15	Whether the concerned Conservator of Forests agree with the information given in Part II and the recommendation of Deputy Conservator of Forests.	Yes
16	Specific recommendation of concerned Conservator of Forest for acceptance or otherwise the proposal with detailed reasons.	Forest land required is bare minimum for the project. Hence the proposal recommended for acceptance.

(Manoj Kumar Agrawal)
Additional Principal
Chief Conservator of Forest
Ujjain Circle, Ujjain

I:\data\DM\Ashu's Documents\DM111\2010-2022\PART III.doc